

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

रामस्वरूप बनाम भंवरलाल आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 296 / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तामील जारी हुआ
05.12.2024	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 252/235 की कुल 2.9090 हैक्ट भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। उपरोक्त स्थगन चालु/मंजूरशुदा/कटानी रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 20.01.2025 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी नोहर</p> <p>वकील सायल/सायल व मिपेदन पत्र पत्रावली पेश हुई वकील सायल/सायल व मिपेदन किया की वम पक्षबासवा आपस में राजीनामा हो गया इत्यर्थ प्रार्थनापत्र नहीं चढाना चाहते स्वार्थ कम्पाने सायल रजम व दारा अपम प्रार्थनापत्र नहीं चढाने व कारण खारिज किया जाण हो पत्रावली वारिख पत्रावली</p>	<p>नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तामील जारी हुआ</p> <p>११५५३५५</p> <p>पहला नंबर</p> <p>२०</p> <p>२०१५</p> <p>उपखण्ड अधिकारी नोहर</p>